न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस.

मु0 नं0 – 128/2019 (103/2017)
प्रकरण दर्ज – 5.11.2019 (13.7.2017)
प्रकरण निस्तारण – 13.11.2019

अनुवानी प्रकरण

लल्लूराम पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।

– वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र मांगीलाल
2. बाबूलाल पुत्र रामदेवा
   समस्त जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।
3. उप पंजीयक एवं नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक –13.11.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 1257 व 1260 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3200 है0 वाके रामा सिकन्दरा तहसील सिकराय मे स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे दावा तकास्मा का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.5.2018 को संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। मुताबिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार सिकराय को कुरेजात तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सिकराय ने उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन के सम्बन्ध मे अपने पत्रांक भू.अ./2019/6057 दिनांक 3.10.2019 द्वारा कुरेजात पेश किये। बटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। बटवारा रिपोर्ट सही होना पाया गया। मुताबिक कुरेजात वकील उभयपक्ष ने बटवारा दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं पत्रावली व कुरेजात का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1257/1 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 1260/1 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला–दौसा

Scanned by CamScanner

0.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि बाबूलाल पुत्र रामदेवा जाति माली सा देह खातेदार हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 1257/2 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 1260/3 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 भूमि लल्लूराम पुत्र मांगीलाल जाति माली सा देह खातेदार हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 1260/2 रकबा 0.04 है0 भूमि हेमलता पत्नी राजेन्द्र जाति माली सा देह खातेदार हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 1257/3 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 1260/4 रकबा 0.03 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि कैलाशचन्द पुत्र मांगीलाल जाति माली सा देह खातेदार हिस्सा रहेगा। कुरेजात डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/11/19

उपखण्ड अधिकारी
हरिताभ कुमार आदित्य,
सिकराय जिला-दौसा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Date: 2019.11.25 13:35:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: